भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3230
16.12.2024 को उत्तर के लिए

खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों का आयात

3230. श्री ईश्वरस्वामी के. :

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ व्यापारी बिना वैध अनुमति के प्रतिबंधित/बैन किए गए खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों का आयात करने में धड़ल्ले से लगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास पंजीकृत रासायनिक अपशिष्ट के आयातकों की सूची क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के गलत कार्य में संलिप्त आयातकों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार संचलन) नियम, 2016 (एचओडब्लूएम नियम, 2016) को अधिसूचित किया है ताकि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से खतरनाक अपशिष्टों का सुरक्षित भंडारण, उपचार और निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

एचओडब्ल्यूएम नियम, 2016 में अनुसूची III के भाग क में सूचीबद्ध खतरनाक अपशिष्टों को पुनर्चक्रण, पुनर्प्राप्ति, पुनः उपयोग और सह-प्रसंस्करण सहित उपयोग के लिए आयात करने की अनुमति दी गई है, भारत में निपटान के लिए खतरनाक अपशिष्टों के आयात की अनुमति नहीं है। अनुसूची III के भाग क में सूचीबद्ध खतरनाक अपशिष्टों के आयात की अनुमति केवल वास्तविक उपयोगकर्ताओं को ही दी जाती है, जिन्हें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विदेश व्यापार लाइसेंस महानिदेशालय, यदि लागू हो, से अनुमति लेनी होती है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति के बिना खतरनाक अपशिष्ट का कोई भी आयात अवैध माना जाता है और एचओडब्लूएम नियम, 2016 की अनुसूची VII के तहत, पत्तन और सीमा शुल्क प्राधिकरणों को भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत उल्लंघन के लिए आयातक के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/ प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा प्रस्तुत वार्षिक माल सूची के अनुसार, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे 10 राज्यों में स्थित संस्थाओं द्वारा लगभग 5.47 लाख मीट्रिक टन खतरनाक अपशिष्टों का आयात किया गया। एचओडब्ल्यूएम नियम, 2016 की अनुसूची VII के तहत, एसपीसीबी/पीसीसी को अन्य कार्यों के अलावा प्राधिकार प्रदान करने और नवीनीकरण करने, इन नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करने और इन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने का कार्य सौंपा गया है।

*****